अध्याय-1

सामान्य

अध्याय-1: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2017-18 में हरियाणा सरकार द्वारा एकत्रित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े नीचे उल्लिखित हैं:

तालिका 1.1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18[1]
1	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	• कर राजस्व	25,566.60	27,634.57	30,929.09	34,025.69	41,099.38[2]
	• कर-भिन्न राजस्व	4,975.06	4,613.12	4,752.48	6,196.09	9,112.85
	योग	**30,541.66**	**32,247.69**	**35,681.57**	**40,221.78**	**50,212.23**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों का हिस्सा	3,343.24	3,548.09	5,496.22	6,597.47	7,297.52[3]
	• सहायता अनुदान	4,127.18	5,002.88	6,378.76	5,677.57	5,185.12[4]
	योग	**7,470.42**	**8,550.97**	**11,874.98**	**12,275.04**	**12,482.64**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)**	**38,012.08**	**40,798.66**	**47,556.55**	**52,496.82**	**62,694.87**
4	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**80**	**79**	**75**	**77**	**80**

1 राज्य सरकार का वित्त लेखा।

2 इसमें मुख्य शीर्ष 0006-राज्य माल एवं सेवा कर के अंतर्गत प्राप्त ₹ 10,833.43 करोड़ की राशि शामिल है।

3 इसमें केंद्रीय माल एवं सेवा कर के हिस्से के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 104.36 करोड़ की राशि और एकीकृत माल एवं सेवा कर के हिस्से के रूप में ₹ 737.08 करोड़ शामिल हैं।

4 इसमें माल एवं सेवा कर के लागू होने से हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 1,199.00 करोड़ की राशि शामिल है।

2013-14 से 2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वर्ष-वार प्रवृत्ति **चार्ट 1.1** में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 1.1

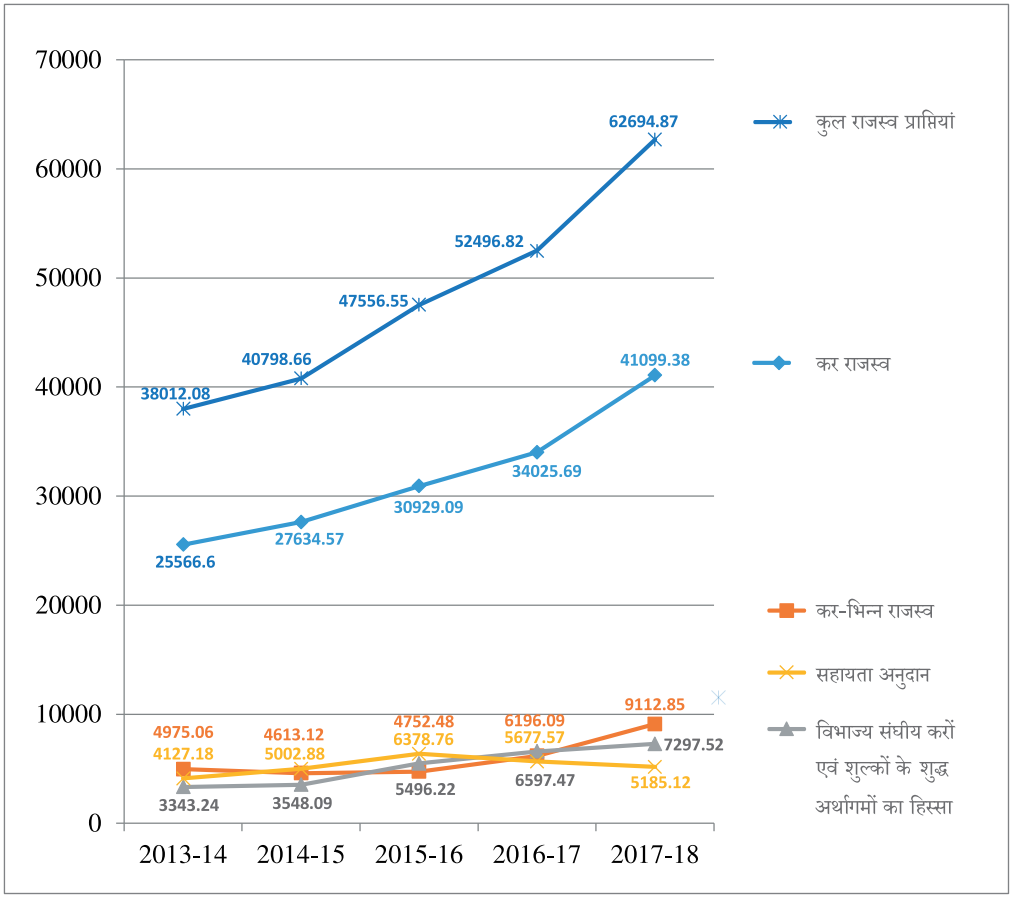

वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 50,212.23 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 80 प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्तियों का शेष 20 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों एवं सहायता अनुदानों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा भारत सरकार से था।

कुल राजस्व प्राप्तियों से राज्य सरकार की इसके अपने स्रोतों से राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 2013-14 (80 प्रतिशत) से 2016-17 (77 प्रतिशत) तक घटती प्रवृत्ति दर्शाती है। तत्पश्चात वर्ष 2017-18 हेतु यह 80 प्रतिशत तक बढ़ गया।

1.1.2 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.1.2: एकत्रित किए गए कर राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	2016-17 के वास्तविकों पर 2017-18 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
1.	बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट) एवं एस.जी.एस.टी.	16,774.33 (65.61)	18,993.25 (68.73)	21,060.23 (68.09)	23,488.41 (69.03)	26,442.35 (64.34)	-33.55
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	3,697.35 (14.46)	3,470.45 (12.56)	4,371.08 (14.13)	4,613.13 (13.56)	4,966.21 (12.08)	7.65
3.	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	3,202.48 (12.53)	3,108.70 (11.25)	3,191.21 (10.32)	3,282.64 (9.65)	4,192.49 (10.20)	27.72
4.	माल एवं यात्रियों पर कर[5]	497.45 (1.95)	527.07 (1.91)	554.25 (1.79)	594.59 (1.75)	2,317.47 (5.64)	289.76
5.	वाहनों पर कर	1,094.86 (4.28)	1,191.50 (4.31)	1,400.38 (4.53)	1,583.06 (4.65)	2,777.57 (6.76)	75.46
6.	बिजली पर कर एवं शुल्क	219.20 (0.86)	239.74 (0.87)	256.66 (0.83)	275.69 (0.81)	306.03 (0.74)	11.00
7.	भू-राजस्व	12.42 (0.05)	15.28 (0.06)	14.97 (0.05)	16.08 (0.05)	18.07 (0.04)	12.38
8.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	68.51 (0.27)	88.58 (0.32)	80.31 (0.26)	172.09 (0.51)	79.19 (0.19)	-53.98
	योग	**25,566.60**	**27,634.57**	**30,929.09**	**34,025.69**	**41,099.38**	**20.79**
	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि		**8.08**	**11.92**	**10.01**	**20.79**	

[5] पी.जी.टी. 01.04.2017 से परिवहन विभाग को हस्तांतरित किया गया।

विभिन्न कर राजस्व की वर्षवार प्रवृत्ति को **चार्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2

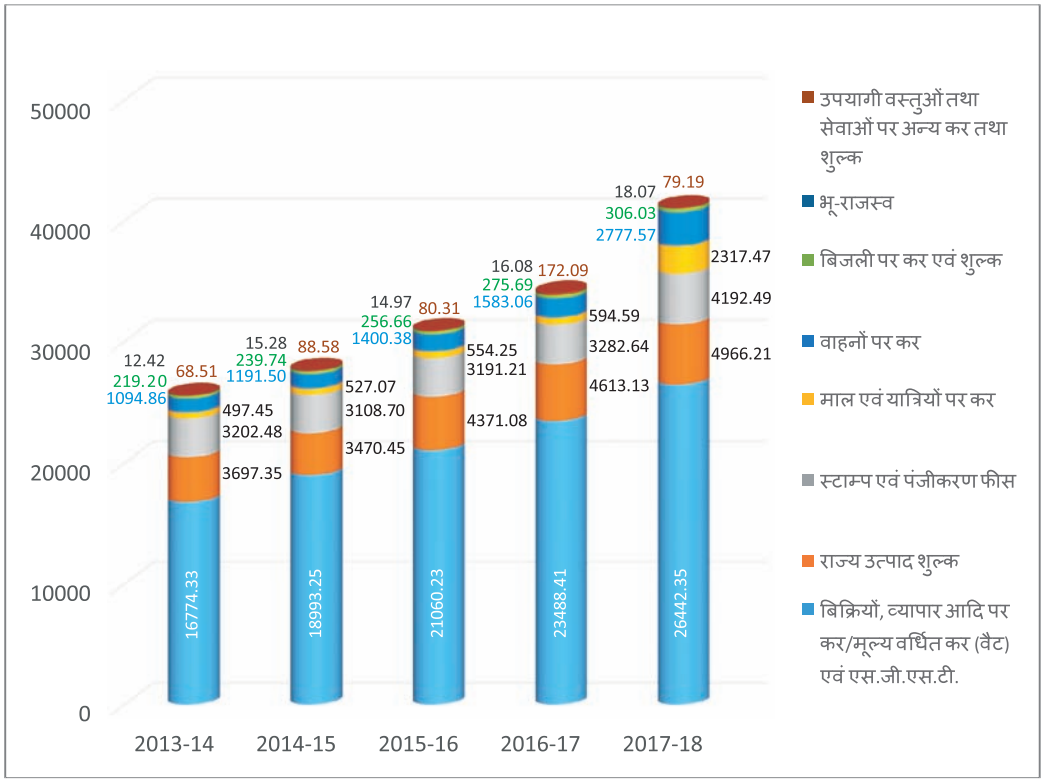

राजस्व कर 2013-14 में ₹ 25,566.60 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 41,099.38 करोड़ हो गया। उपरोक्त अवधि में राजस्व की वृद्धि लगभग आठ से 21 प्रतिशत की दीर्घकालिक प्रवृत्ति को दर्शाती है।

संबंधित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किएः

- **स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस:** गत पांच वर्षों के दौरान, स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस में 2016-17 में ₹ 3,282.64 करोड़ के विरूद्ध 2017-18 में ₹ 4,192.49 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि अचल संपत्ति के लेन-देन में वृद्धि के कारण थी।
- **मोटर वाहनों पर कर:** 2016-17 में ₹ 1,583.06 करोड़ के विरूद्ध 2017-18 में ₹ 2,777.57 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि मोटर वाहन कर में यात्री एवं माल कर के विलयन और सड़क पर ओवरलोडिड वाहनों की गहन जांच के कारण थी।
- **यात्री एवं माल करः** 2016-17 में ₹ 594.59 करोड़ के विरूद्ध 2017-18 में ₹ 2,317.47 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि "22 जून 2017 को शुरू की गई जो बकाया कर देयों की वसूली के लिए हरियाणा एकबारगी निपटान स्कीम" नामक स्कीम में जमा राशि के कारण थी।
- **बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर:** 2017-18 में वैट की प्राप्ति ₹ 15,608.92 करोड़ थी तथा एस.जी.एस.टी. की प्राप्ति ₹ 10,833.43 करोड़ थी।

1.1.3 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण निम्न तालिका में इंगित किए गए हैं:

तालिका 1.1.3: एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2016-17 के वास्तविकों पर 2017-18 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	
1.	ब्याज प्राप्तियां	1,090.71 (21.92)	933.59 (20.24)	1,087.49 (22.88)	2,309.79 (37.28)	2,227.82 (24.45)	-3.55
2.	सड़क परिवहन	1,097.54 (22.06)	1,235.31 (26.78)	1,254.55 (26.40)	1,265.13 (20.42)	1,279.66 (14.04)	1.15
3.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	318.94 (6.41)	564.48 (12.24)	637.41 (13.41)	640.48 (10.34)	674.03 (7.40)	5.24
4.	शहरी विकास	1,104.54 (22.20)	861.11 (18.67)	421.95 (8.88)	599.00 (9.67)	2,861.45 (31.40)	377.70
5.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	79.10 (1.59)	43.46 (0.94)	271.61 (5.72)	496.95 (8.02)	712.87 (7.82)	43.45
6.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	510.65 (10.26)	472.18 (10.24)	466.30 (9.81)	438.45 (7.08)	456.59 (5.01)	4.14
7.	प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई	95.04 (1.91)	129.27 (2.80)	110.48 (2.32)	113.43 (1.83)	132.43 (1.45)	16.75
8.	पुलिस	80.38 (1.62)	67.82 (1.47)	151.70 (3.19)	109.11 (1.76)	128.69 (1.41)	17.95
9.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	144.35 (2.90)	95.73 (2.08)	115.64 (2.43)	105.66 (1.71)	165.37 (1.81)	56.51
10.	वानिकी एवं वन्य जीवन	37.37 (0.75)	44.29 (0.96)	51.90 (1.09)	55.38 (0.89)	33.10 (0.36)	-40.23
11.	विविध सामान्य सेवाएं[6]	268.37 (5.39)	20.38 (0.44)	41.39 (0.87)	31.54 (0.51)	251.50 (2.76)	697.40
12.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	148.07 (2.98)	145.50 (3.15)	142.06 (2.99)	31.17 (0.50)	189.34 (2.08)	507.44
योग		**4,975.06**	**4,613.12**	**4,752.48**	**6,196.09**	**9,112.85**	**47.07**

[6] अस्वामिक जमा, राज्य लाटरी, भूमि/संपत्ति की बिक्री, गारंटी फीस तथा अन्य प्राप्तियां।

विभिन्न कर-भिन्न राजस्व की वर्ष-वार प्रवृत्ति को **चार्ट 1.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3

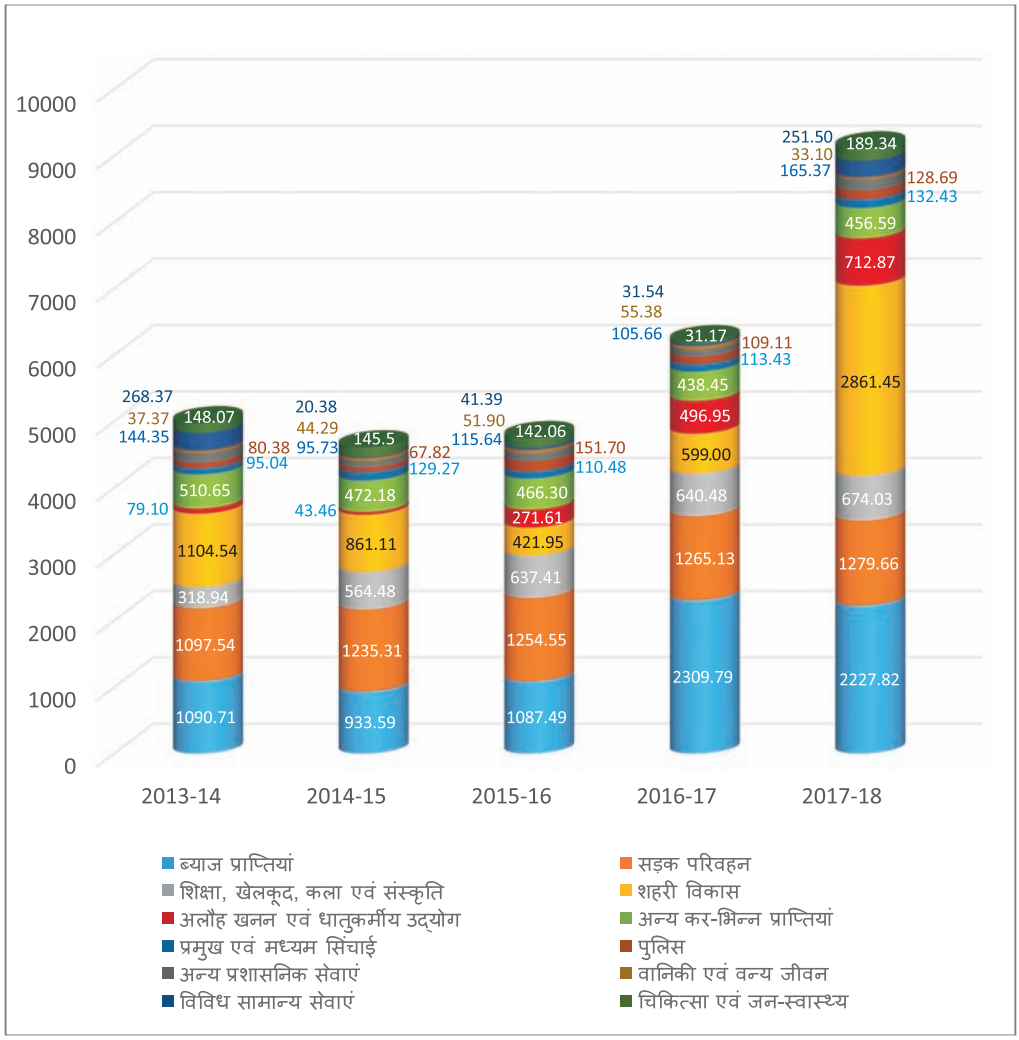

वर्ष 2016-17 की वास्तविक प्राप्तियों पर 2017-18 में वास्तविक प्राप्तियों में 47.07 प्रतिशत की वृद्धि है। ब्याज प्राप्ति (24.44 प्रतिशत), शहरी विकास (31.40 प्रतिशत), तथा सड़क परिवहन (14.04 प्रतिशत) कर-भिन्न राजस्व के मुख्य अंशदाता हैं और समग्र रूप से कुल कर-भिन्न राजस्व का लगभग 70 प्रतिशत अंशदान करते हैं।

संबंधित विभागों ने भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया:

- **अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योगः** वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (43.45 प्रतिशत) देयों की प्रभावी वसूली, अवैध खनन की लगातार निगरानी तथा अवैध खनन में शामिल पाए गए व्यक्तियों से पेनल्टी की वसूली के कारण थी।

- **प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई:** वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (16.75 प्रतिशत) पिछले वर्ष के बकायों की वसूली तथा विभिन्न प्रमुख नहरों की डीसिल्टिंग के दौरान खनिजों की बिक्री से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण थी।

- **विविध सामान्य सेवाएं:** वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (697.40 प्रतिशत) गारंटी फीस की अधिक प्राप्ति के कारण थी।
- **शहरी विकास:** 2016-17 में ₹ 599.00 करोड़ से 2017-18 में ₹ 2,861.45 करोड़ तक राजस्व में तेज वृद्धि थी। राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, लाइसेंसधारकों से वसूल किए गए बाह्य विकास प्रभारों (ई.डी.सी.) की राशि 01 अप्रैल 2017 टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टी.सी.पी.) विभाग के प्रमुख प्राप्ति शीर्ष 0217 में जमा की जा रही है। लाइसेंस प्राप्त करने वाले लाइसेंसधारकों से वसूल किए गए पूर्ववर्ती बाह्य विकास प्रभार हरियाणा की शहरी संपदाओं में बाह्य विकास कार्यों के निष्पादन के लिए राज्य सरकार की नोडल एजेंसी होने के नाते टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टी.सी.पी.) विभाग द्वारा जोकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.) को हस्तांतरित की जा रही थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किए जाने के बावजूद प्राप्तियों में भिन्नताओं के कारण सूचित नहीं किए (नवंबर 2018)।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2018 को राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के संबंध में राजस्व के बकाया ₹ 12,446.12 करोड़ राशि के थे जिनमें से ₹ 2,124.00 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जो कि नीचे वर्णित है:

तालिका 1.2: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2018 को बकाया राशि	31 मार्च 2018 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1.	**बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट**	11,069.39	1,700.35	उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 631.32 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी, तथा ₹ 289.17 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण रोके गए थे। ₹ 101.49 करोड़ व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोके गए थे, ₹ 209.00 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु प्रस्तावित थे, ₹ 1,208.34 करोड़ परिशोधन, समीक्षा तथा अपील के कारण रोके गए थे। ₹ 2,149.64 करोड़ के बकायों की वसूली न्यायालय में लंबित मामलों के कारण लंबित थी तथा ₹ 1,886.16 करोड़ विभाग द्वारा (अन्य कारणों से) वसूली न करने के कारण लंबित थे। सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास लम्बित मामलों के कारण ₹ 544.19 करोड़ की वसूली बकाया थी। अन्तर्राज्य बकाया ₹ 101.50 करोड़ था तथा अन्तर्जिले बकाया ₹ 88.75 करोड़ था। ₹ 1.03 करोड़ की वसूली किश्तों में की जा रही थी। ₹ 3,858.80 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर थी।
2.	**राज्य उत्पाद शुल्क**	233.69	95.83	उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 20.37 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी, तथा ₹ 0.73 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण रोके गए थे। ₹ 0.60 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु संभावित थे। ₹ 17.49 करोड़ अन्तर्राज्य तथा ₹ 48.84 करोड़ अन्तर्जिले बकायों के कारण था। ₹ 0.06 करोड़ की वसूली किस्तों में की

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2018 को बकाया राशि	31 मार्च 2018 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
				जा रही थी। ₹ 15.41 करोड़ न्यायालय में लंबित मामलों के कारण लंबित थे। ₹ 48.12 करोड़ अन्य कारणों से विभाग द्वारा वसूली न करने के कारण लंबित थे। ₹ 3.18 करोड़ सरकारी परिसमापक/ बी.आई.एफ.आर. के पास थे। शेष ₹ 78.89 करोड़ कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थे।
3.	**बिजली पर कर एवं शुल्क**	261.46	138.68	₹ 260.46 करोड़ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.)/उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (उ.ह.बि.वि.नि.लि.) के उपभोक्ताओं की ओर लम्बित थे तथा ₹ 1.00 करोड़ हरियाणा कॉनकास्ट, हिसार के विरूद्ध लम्बित थे।
4.	**स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)**	201.46	147.96	₹ 138.76 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी तथा ₹ 62.70 करोड़ की राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर बकाया थी।
5.	**पुलिस**	92.50	8.20	31 मार्च 2007 तक ₹ 7.38 करोड़ भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) से देय थे। हरियाणा राज्य में आई.ओ.सी.एल. से वसूली का मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। ₹ 0.29 करोड़ भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.), फरीदाबाद से वसूलनीय थे तथा ₹ 84.83 करोड़ अन्य राज्यों में चुनाव ड्यूटी के लिए तथा कानून व्यवस्था हेतु अन्य राज्यों से वसूलनीय थे।
6.	**वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां**	11.69	11.22	₹ 0.42 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी, ₹ 0.02 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे तथा ₹ 11.25 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर बकाया थी।
7.	**अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग**	575.93	21.76	₹ 271.44 करोड़ वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत मांग के कारण बकाया थे। ₹ 0.54 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 2.65 लाख बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे। ₹ 303.92 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
	योग	**12,446.12**	**2,124.00**	

1.3 कर-निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, कर-निर्धारण हेतु देय बने मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष की समाप्ति पर अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या के विवरण जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर के संबंध में प्रस्तुत किए गए, नीचे वर्णित है:

तालिका 1.3: कर-निर्धारणों में बकाया

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान कर-निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय कर-निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 6 से 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2017-18	2,54,927	2,67,172	5,22,099	2,09,688	3,12,411	40
	2016-17	2,29,719	2,28,741	4,58,460	2,03,533	2,54,927	44

वर्ष की समाप्ति पर लंबित मामलों की संख्या में बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट के संबंध में वृद्धि हुई है। यह आगे अवलोकित किया गया है कि मामलों के निपटान की प्रतिशतता मात्र 40 थी।

1.4 विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के प्रकरणों, अन्तिमकृत मामलों तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, जो निम्न तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.4: कर का अपवंचन

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2017 को लम्बित मामले	2017-18 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें कर-निर्धारण/ जांच पड़ताल पूर्ण हुई तथा पेनल्टी इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2018 को अंतिमकरण हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	134	1,303	1,437	1,382	88.63	55
2	राज्य उत्पाद शुल्क	589	8,053	8,642	8,246	6.99	396
योग		**723**	**9,356**	**10,079**	**9,628**	**95.62**	**451**

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या की तुलना में वर्ष की समाप्ति पर बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट तथा राज्य उत्पाद शुल्क के मामले में कमी हुई है।

1.5 रिफंड मामले

वर्ष 2017-18 के आरम्भ में लम्बित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंडों तथा वर्ष 2017-18 के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, जो निम्न तालिका में दी गई है:

तालिका 1.5: रिफंड मामलों के विवरण

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	**वर्ष के आरंभ में बकाया दावे**	579	115.30	41	7.16
2.	**वर्ष के दौरान प्राप्त दावे**	2,352	659.83	806	57.20
3.	**वर्ष के दौरान किए गए/ समायोजित/अस्वीकृत रिफंड**	2,583	685.17	802	62.90
4.	**वर्ष के अंत में बकाया शेष**	348	89.96	45	1.46

वर्ष के आरंभ में बकाया मामलों की तुलना में वर्ष की समाप्ति पर बकाया मामलों की संख्या बिक्री कर/वैट में कम हुई है तथा राज्य उत्पाद शुल्क में बढ़ी है।

1.6 आंतरिक लेखापरीक्षा

वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्लान किए गए 257 यूनिटों में से आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष ने 219 यूनिटों (85 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की जैसाकि निम्न तालिका में विवरण दिया गया है:

तालिका 1.6: आंतरिक लेखापरीक्षा

प्राप्तियां	प्लान की गई इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या
स्टॉम्प शुल्क	142	142
राज्य उत्पाद शुल्क	21	20
वैट/बिक्री कर	शून्य	शून्य
मोटर वाहन कर	94	57
योग	**257**	**219**

अध्याय 2 से 6 के अनुच्छेदों में दर्शाई गई अनियमितताएं अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की सूचक हैं क्योंकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित की गई अनियमितताएं आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा पता नहीं लगाई गई थी। यह अवलोकित किया गया है कि वर्ष के दौरान वैट/बिक्री कर की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा न कराए जाने के कारण प्रदान नहीं किए गए थे।

1.7 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच एवं महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। ये निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान पता लगाई गई तथा स्थल पर समायोजित न की गई अनियमितताओं को सम्मिलित कर निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) से अनुवर्तित किए जाते हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को, अगले उच्चतर प्राधिकारियों को प्रतियों सहित, शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु जारी किए जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों की अनुपालना की जानी अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं, विभागाध्यक्षों तथा सरकार को सूचित की जाती हैं।

दिसम्बर 2017 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों ने प्रकट किया कि जून 2018 के अन्त में 2,446 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 6,577.52 करोड़ से आवेष्टित 6,915 अनुच्छेद बकाया रहे। जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़ों के साथ निम्न तालिका में उल्लिखित है:

तालिका 1.7: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण

	जून 2016	जून 2017	जून 2018
निपटान हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,143	2,302	2,446
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	5,389	6,430	6,915
आवेष्टित राजस्व की राशि (₹ करोड़ में)	5,802.87	5,869.33	6,577.52

1.7.1 30 जून 2018 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और आवेष्टित राशि के विभाग-वार विवरण निम्न तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.7.1: निरीक्षण प्रतिवेदनों के विभाग-वार विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	आवेष्टित धन मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	**आबकारी एवं कराधान**	बिक्री कर/वैट	334	2,828	5,342.97
		राज्य उत्पाद शुल्क	173	305	160.11
		माल एवं यात्रियों पर कर	247	441	38.70
		मनोरंजन शुल्क एवं प्रदर्शन कर	22	24	11.63
2.	**राजस्व**	स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस	1,057	2,493	370.43
		भू-राजस्व	135	174	0.81
3.	**परिवहन**	वाहनों पर कर	380	524	27.70
4.	**विद्युत**	बिजली पर कर एवं शुल्क	7	8	5.89
5.	**खदान एवं भू-विज्ञान**	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	91	118	619.28
योग			**2,446**	**6,915**	**6,577.52**

निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बनता में वृद्धि इस तथ्य का सूचक थी कि कार्यालयों तथा विभागों के अध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई प्रारंभ नहीं की।

सरकार, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के शीघ्र उत्तर सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए विभागों के उत्तरों की प्रभावी मॉनीटरिंग की प्रणाली स्थापित कर सकती है।

1.7.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुच्छेदों के समायोजन की प्रगति को मॉनीटर एवं तीव्र करने के लिए लेखापरीक्षा समितियां गठित की। वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा समायोजित किए गए अनुच्छेदों के विवरण निम्न तालिका में उल्लिखित हैं:

तालिका 1.7.2: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

क्र.सं.	राजस्व का शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निपटाए गए अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	**आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर)**	6	106	46.62
2	**परिवहन विभाग**	3	62	1.01
3	**राजस्व विभाग**	2	30	1.14
4	**खदान एवं भू-विज्ञान विभाग**	1	8	0.11
	योग	**12**	**206**	**48.88**

वर्ष 2017-18 के दौरान 857 अनुच्छेदों पर लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में चर्चा की गई थी तथा जिनमें से ₹ 48.88 करोड़ के धन मूल्य वाले 206 अनुच्छेदों का निपटान किया गया था जबकि वर्ष 2016-17 के दौरान 1,295 अनुच्छेदों पर चर्चा की गई थी तथा जिनमें से ₹ 570.45 करोड़ के धन मूल्य वाले 240 अनुच्छेदों का निपटान किया गया था। यह दर्शाता है कि वर्ष 2016-17 में निपटान किए गए अनुच्छेदों (19 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान निपटान किए गए अनुच्छेदों की प्रतिशतता में वृद्धि (24 प्रतिशत) दर्शाई गई है।

1.7.3 लेखापरीक्षा को जांच के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

वर्ष 2017-18 के दौरान, ₹ 375.06 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित 36,208 कर-निर्धारण फाईलों में से 199 फाईलें तथा अन्य संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। मामलों का जिला-वार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.7.3: अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के विवरण

कार्यालय/विभाग का नाम	वर्ष, जिसमें इसकी लेखापरीक्षा की जानी थी	प्रस्तुत न किए गए मामलों की संख्या	कर की राशि/रिफंड (₹ करोड़ में)
कर-निर्धारण मामले			
आबकारी एवं कराधान आयुक्त (एस.टी.) गुरूग्राम (पश्चिम)	2017-18	156	248.06
डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) रेवाड़ी	2017-18	02	114.68
डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) मेवात	2017-18	02	1.78
डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कैथल	2017-18	01	0.71
डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सिरसा	2017-18	38	9.83
योग		**199**	**375.06**

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), गुरूग्राम (पश्चिम), रेवाड़ी, मेवात, कैथल तथा सिरसा से संबंधित ₹ 375.06 करोड़ की राशि के 199 मामलों की अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के कारण जांच नहीं की जा सकी।

1.7.4 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर सरकार के उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेद, प्रधान महालेखाकार द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/अपर मुख्य सचिवों को लेखापरीक्षा परिणामों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः सप्ताह के भीतर उनके उत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए अग्रेषित किए जाते हैं। विभागों/सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे अनुच्छेदों के अन्त में इंगित किया जाता है।

तीस प्रारूप अनुच्छेदों (27 ड्राफ्ट अनुच्छेद में इकट्ठे किए गए) और एक निष्पादन लेखापरीक्षा को फरवरी और जुलाई 2018 के मध्य और संशोधित निष्पादन लेखापरीक्षा को जुलाई 2019 में संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों के पास भेजा गया था। प्रारूप अनुच्छेदों में से किसी का भी और निष्पादन लेखापरीक्षा का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, निष्पादन लेखापरीक्षा के समापन पर सरकार के साथ आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्राप्त उत्तरों को उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में प्रासंगिक स्थानों पर सम्मिलित कर लिया गया है।

1.7.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति

वित्त विभाग द्वारा अक्तूबर 1995 में जारी किए गए तथा जुलाई 2001 में दोहराए गए निर्देशों के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि विधानसभा में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्रवाई आरंभ करेंगे तथा लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) के विचार हेतु प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन माह के भीतर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

इन प्रावधानों के बावजूद, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों में देरी की जा रही थी। तथापि, 31 मार्च 2015, 2016 तथा 2017 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए चार विभागों {आबकारी एवं कराधान (41), परिवहन (4), राजस्व (17) तथा खदान एवं भू-विज्ञान (3)} से 65 अनुच्छेदों के संबंध में कृत कार्रवाई टिप्पणियां, जैसा ***अनुलग्नक-I*** में उल्लिखित है, अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी (जून 2018)।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 18 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की तथा 18 अनुच्छेदों पर इसकी सिफारिशें वर्ष 2017-18 की उनकी 75वीं रिपोर्ट में शामिल की गई थी। लोक लेखा समिति की 22वीं से 75वीं रिपोर्ट में शामिल 1979-80 से 2013-14 की अवधि से संबंधित 1,011 सिफारिशें, जैसा कि ***अनुलग्नक-II*** में उल्लिखित है, संबंधित विभागों द्वारा अंतिम सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने के अभाव में अभी तक लंबित थी।

1.8 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए गए मामलों का जवाब देने की प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए एक विभाग के संबंध में गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेदों 1.8.1 से 1.8.2 में मोटर वाहनों पर कर के अंतर्गत परिवहन विभाग के निष्पादन तथा वर्ष 2008-09 से 2017-18 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित गत 10 वर्षों के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पता लगाए गए मामलों पर चर्चा करते हैं।

1.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

गत 10 वर्षों के दौरान परिवहन विभाग को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की संक्षेपित स्थिति तथा 31 मार्च 2018 को उनकी स्थिति ***अनुलग्नक-III*** में उल्लिखित है।

31 मार्च 2018 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या 2008-09 में 264 से 2017-18 में 360 तक बढ़ गई तथा अनुच्छेदों की संख्या 2008-09 में 340 से 2017-18 में 500 तक बढ़ गई। सरकार को पुराने लंबित अनुच्छेदों के समायोजन के लिए लेखापरीक्षा समिति की अधिक बैठकें आयोजित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

1.8.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये तथा वसूली गई राशि की स्थिति ***अनुलग्नक-IV*** में दी गई है।

गत 10 वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों में भी वसूली की प्रगति बहुत कम (12 प्रतिशत) थी। विभाग स्वीकृत मामलों में आवेष्टित देयों की शीघ्र वसूली का अनुसरण तथा मॉनीटर करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

1.9 विभाग/सरकार द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा पर स्वीकृत सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

प्रधान महालेखाकार द्वारा संचालित निष्पादन लेखापरीक्षाएं, संबंधित विभाग/सरकार को उन पर अपने उत्तर देने के अनुरोध के साथ भेजी जाती हैं। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर एग्जिट कॉन्फ्रेंसों में भी चर्चा की गई थी और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देते समय विभागों/सरकार के विचार शामिल किए गए हैं।

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के प्रतिवेदन में दर्शाई गई आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा के 'वैट के अंतर्गत कर-निर्धारण की प्रणाली', 'राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां' तथा 'घोषणा फार्मों के विरूद्ध छूट एवं रियायत' नामक निष्पादन लेखापरीक्षा पर अभी लोक लेखा समिति में चर्चा की जानी है।

1.10 लेखापरीक्षा आयोजना

हरियाणा राज्य में कुल 522 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां हैं जिनमें से 2017-18 के दौरान 312 इकाइयों की योजना बनाई गई थी तथा 314 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई थी। इकाइयों का चयन जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया था।

1.11 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, मोटर वाहन, माल एवं यात्री तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा योग्य 522 यूनिटों में से 314 (राजस्व 312 + व्यय 02) यूनिटों के अभिलेखों की वर्ष 2017-18 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 22,774 मामलों में कुल ₹ 3,298.68 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि प्रकट की। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 5,743 मामलों में आवेष्टित ₹ 1,525.34 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियां स्वीकार की। विभागों ने वर्ष 2017-18 के दौरान 164 मामलों में ₹ 29.66 करोड़ वसूल किए थे।

1.12 इस प्रतिवेदन की कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹ 1,711.40 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित **"खदान एवं भू-विज्ञान विभाग की कार्यप्रणाली"** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 27 अनुच्छेद शामिल हैं।

विभागों/सरकार ने ₹ 1,422.28 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 29.29 करोड़ वसूल किए गए थे। इन पर अनुवर्ती अध्याय 2 से 6 तक में चर्चा की गई है।